

अतः विपक्षीगणों को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि विपक्षीगण आगामी पेशी तारीख तक वादग्रस्त आराजीयात वाके मोजा ग्राम बरडा तह0निम्बाहेडा में वर्तमान खाता सं0 162 की आराजी नं0 52 रकबा आ0नं0 566/69 रकबा 0.3300 हेक्टैयर ,आ0नं0 568/194 रकबा 0.6800 हेक्टैयर 71 रकबा 0.0200 हेक्टैयर लगानी 0.07 रूपये कुल किता 4 कुल रकबा 1.1400 हेक्टैयर भूमि की विपक्षीगण आगामी तारीख पेशी तक उक्त आराजीयात की मौके एवं रकबा यथास्थिति बनाये रखें । प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण की तामिल रजिस्टर्ड डाक से करवाई विपक्षीगण को कोई एतराज हो तो वे अपना पक्ष/जबाब आगामी पेशी दिनांक 18.10.2022 उपस्थित होकर पेश करें। विपक्षीगण को उक्त आशय का हुकम इम्तनाई चन्द रोजा किया जावे। पत्रावली वास्ते जबाब दिनांक 18.10.2022 को पेश हो।

20

18/10/22

पत्रावली आज पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित एस डी ओ सा दौरे /अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली हुकम साविका दिनांक 21/10/22 को पेश है।

राधेश्याम

पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। एस.डी.ओ.सा. दौरे /अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली हुकम साविका दिनांक 21/10/23 को पेश है

केसर गंग

21/10/23

पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। एस.डी.ओ.सा. दौरे /अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली हुकम साविका दिनांक 21/10/23 को पेश है

कपिलदेव

गंगा

शेखर

21/10/2023

पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित वकील प्रार्थीगण न जाये लिया। अतः इस प्रकार से संचालित मूल वाद सं. 168/2022 दिनांक 21/10/2023 को निर्णित हो चुका है। इसलिये आगे इस प्रकार में कोई सापवाली बाध नहीं है। इसे खारिज किया जाये।

Continued

जुडो
ऑफिसर
आपको
कार्ड स्थित
जावे।
को
गरी

क्र.सं. हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>वकील प्रायोगिक को सुना गया। इस प्रकार से संबंधित गलतबाई की अवलोकन किया गया। गलतबाई प्रकरण सं. 168/2022 दिनांक 23/5/2023 को निश्चित हुआ है। इसलिए अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है अतः प्रायोगिक का उक्त प्राथमिक पत्र क्रमांक- 212 रा. का. आ. के. 23/5/23 स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल शुमार के नम्बर से समझें।</p>	


21/6/23